मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

शांता देवी पिता भंवरलाल जाति महाजन उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी भादसोडा भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... **वादीया**

।। बनाम ।।

1. मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति महाजन उम्र वयस्क पेशा व्यवसाय निवासी वासुपुजा जैन मन्दिर के पास अम्बिका नगर पालनपुर (गुजरात)।
2. बाबुलाल पिता भंवरलाल जाति महाजन उम्र वयस्क पेशा व्यवसाय निवासी नगीना बाड़ी, सोहनलाल सेठ हॉस्पीटल पालनपुर (गुजरात)।
3. डाडमचन्द पिता रूपलाल जाति महाजन उम्र वयस्क पेशा गृहणी निवासी भादसोडा भदेसर
4. रणजीत पिता मिटठालाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी उनीयाधाम मंदिर के पीछे सवासी सोसायटी कोहिनुर ऑफीस नम्बर 19 सूरत (गुजरात)।
5. शांतिलाल पिता मिटठालाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी कतार गांव दरवाजा पंत नगर, सूरत
6. शंकरलाल पिता मिटठालाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी यू.आई.टी. कॉलोनी आकाशवाणी कॉलोनी मादड़ी मकान नम्बर 73 उदयपुर।
7. त्रिलोचना पिता मिटठालाल पत्नि रमेश चन्द्र जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी महावीर मशीनरी हनुमान मंदिर के पीछे, मंगलवाड चौराहा, तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ।
8. रमा बाई पत्नि मिटठालाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी उनीयाधाम मंदिर के पीछे सवासी सोसायटी कोहिनुर ऑफीस नम्बर 19 सूरत (गुजरात)।
9. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)

.... **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण सं0 .14/2019

वादी की और से वकील श्री उमेश आगाल एवं प्रतिवादी की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 01.03..2021 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादीया डिकी किया जाता है कि ग्राम भादसोडा पटवार मण्डल भादसोडा भदेसर तहसील भदेसर खाता संख्या 548 (552) की आराजी संख्या 823, 824, 825 ,826, 827, 828, 829 ,830 , 832 कुल किता 9 रकबा 2.34 हैक्टेयर भूमि वादिया की पैत्रिक सम्पत्ति होने से उसमें वादीया का 1/9 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा रहेगा । चूंकि विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है उसके हस्तान्तरण अथवा खुर्द बुर्द होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ऐसी परिस्थितियों में वादिया के हितों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है जब तक वादिया का नाम उक्त प्रकार से राजस्व रेकार्ड में अमल नहीं हो जाता तब तक उपरोक्त आराजीयात से संबंधित किसी भी भूभाग को रहन बय बख्शीस नहीं करें न अपने किसी नौकर चाकर हाली , एजेन्ट के माध्यम [illegible] । धारा 53 की दाद विड्रो कर लिये जाने से खारीज की जाती है "। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 01.03.2021 को [illegible] किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:35 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner